

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जून 2021—ज्येष्ठ 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

शुद्धिपत्र

क्र. एफ ए 3-01-2018-1-पांच (32).—मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-01-2018-1-पांच (22), दिनांक 28 मई, 2021 में, :-

- (i) खण्ड (1) में, अंक और शब्द "0040-बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर-112" के स्थान पर, अंक और शब्द "0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-111-1070" पढ़ा जाएं;
- (ii) खण्ड (2) में, अंक और शब्द "0040-बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर-112" के स्थान पर, अंक और शब्द "0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-111-1070" पढ़ा जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ ए 3-01-2018-1-पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-01-2018-1-पांच (32), दिनांक 3 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2021

CORRIGENDUM

No. F A 3-01-2018-1-V-(32).—In the notification No. F A 3-01-2018-I-V (22) dated 28th May 2021, of the Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department; :—

- (i) in clause (1), for the figures and words, "0040—taxes on sales and trade etc.-112", the figures and words "0040-taxes on sales, trade etc.-111-1070" shall be read;
- (ii) in clause (2), for the figures and words, "0040-taxes on sales and trade etc.-112", the figures and words "0040-taxes on sales, trade etc.-111-1070" shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.